**वैदिक विद्या केंद्र में आर्य युवा आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत मुख्य नियम का अनुलग्नक**

1. **दिनचर्या**
* केंद्र की मौलिक दिनचर्या में भाग लेना अनिवार्य है (प्रातः 5-8 योग, व्यायाम, संध्या, यज्ञ, प्रवचन) एवं सायं 6:20 से 7 बजे ध्यान।
* आप को केंद्र के अनुशासन एवं दिनचर्या का पालन (समय पर भोजन इत्यादि) करना होगा।
* अगर पढ़ाई एवं अन्य किसी विशेष परिस्थिति वश कोई अपवाद करना पड़े तो उसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी।
1. **व्यवहार**
* आपके केंद्र में आवास और अध्ययन के समय कोई भी समस्या हो तो आप इस योजना के संचालकों से साझा कार सकते हैं। उसका यथायोग्य समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।
* आपसे अपेक्षा है कि आपका व्यवहार संस्था के अनुकूल होगा। आलस्य, प्रमाद, निंदा, चुगली इत्यादि व्यवहारों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। अगर ऐसा देखा गया तो तीन बार आपको सचेत किया जाएगा। अगर व्यवहार जारी रहा तो आपको इस योजना से बाहर निकाला जा सकता है।
* आपसे अपेक्षा है कि आप इस केंद्र में एक परिवार के सदस्य की भांति रहे। समय-समय पर कोई भी आपात स्थिति (सहभागी का स्वास्थ्य इत्यादि) पैदा होने पर आपसे अपेक्षा है कि आप उसमें सहयोग देने को तत्पर होंगे।
* इस केंद्र में रह रहें आचार्यों, व्यवस्थापकों एवं अतिथियों से आप आदर भाव से यथायोग्य व्यवहार करेंगे।
* इस केंद्र में अनेक कार्यक्रम चल रहें हैं। आप ध्यान रखेंगे कि आप उनमें कोई बाधा न पहुंचाए एवं यथा योग्य सहयोग देवे।
* संस्था में बालकों का एक गुरुकुल भी चल रहा है। आपसे अपेक्षा है कि किसी भी स्थिति में गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के अनुशासन में बाढ़ नहीं डालेंगे। उदाहरण, अपना मोबाईल उनको देना, या उनके लिए बिना अनुमति कोई समान लाकर उन्हे देना इयादी।
1. **परिधान एवं भोजन**
* आपके वस्त्र एक गुरुकुल के अनुकूल रहेंगे। परिधान भारतीय हो तो अच्छा है। पुरुषों के लिए कुर्ता-पैजामा/ धोती, पैन्ट-शर्ट, टी शर्ट और ट्रैक सूट इत्यादि अपेक्षित है। हालफ पैन्ट, बरमूडा आदि आप अपने कक्ष में अथवा व्यायाम के समय पहन सकते हैं, पर इन्हे पहन कर परिसर में सामान्य रूप से आवागमन नहीं कर सकते। इसी तरह महिलाओं के लिए सलवार कमीज अथवा साड़ी अपेक्षित है।
* केंद्र में सात्विक भोजन की व्यवस्था है। केंद्र के परिसर में बाहर से भोजन लाने कि अनुमति नहीं है। Zomato/ Swiggy का उपयोग वर्जित है।
* आप केंद्र के परिसर अथवा बाहर – किसी भी स्थान पर शाकाहारी भोजन ही लेंगे। ध्यान रहें अंडे शाकाहारी नहीं हैं। साथ में किसी भी स्थान (केंद्र के अंदर या बाहर) आप किसी भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करेंगे (शराब, सिगरेट, बीड़ी, ड्रग्स इत्यादि) अगर आप इनमें से किसी का भी सेवन करते हुए किसी भी स्थान पर पाए गए तो आपको इस योजना से निलंबित किया जाएगा।
1. **अनुशासन**
* आप केंद्र के संसाधनों का अनुमति लेकर अथवा व्यवस्था अनुसार सदुपयोग कर सकते हैं। पर साथ साथ, आपका उत्तरदायित्व रहेगा कि केंद्र के सभी संसाधनों की उपयुक्त सुरक्षा आप करेंगे। अगर सुधार का यथोचित अवसर देने के

बाद भी, आप में इन संसाधनों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखा तो आपके छात्रवृत्ती की राशि से हानि की भरपाई की जाएगी और आपको इस योजना से निलंबित भी किया जाएगा।

* आपसे अपेक्षा है कि आप मोबाईल का सदुपयोग करेंगे। देर रात्री तक मूवी, रील इत्यादि देखना आपकी दिनचर्या बिगाड़ देगा और अध्ययन से आपका ध्यान भी हटा देगा। अगर ऐसा पाया गया तो आपका मोबाईल कुछ दिनों के लिए जमा कर लिया जाएगा। केवल पढ़ाई इत्यादि कार्यों के लिए केंद्र से बाहर जाते समय आपको मोबाईल दिया जाएगा। अगर मोबाईल का बार बार दुरुपयोग करते हुए देखा गया तो अनुशासनहीनता के अंतर्गत कार्यवाही होगी।
* आप अपना मोबाईल परिसर में रहने वाले अन्य लोगों को नहीं देंगे। ऐसे अनेक स्थितियाँ बनेंगी जब परिसर के विभिन्न कार्यक्रमों में आए हुए अतिथियों के लिए मोबाईल वर्जित रहेगा। आपका उनको अपना मोबाईल देना उनके लिए हानिकारक रहेगा।
1. **आराम / अवकाश**
* आप इस योजना में अपना भविष्य निर्माण करने आए हैं। इस लिए आपसे अपेक्षा है कि आप सप्ताह में 65-80 घंटे किसी न किसी रूप में अध्ययन अथवा केंद्र में कोई भी कार्य करेंगे।
* रविवार या फिर सप्ताह में कोई एक दिन में आप निजी व्यवस्था (कपड़े धोना, साफ सफाई इत्यादि) के लिए 2-4 घंटे का समय निकाल सकते हैं। साथ साथ केंद्र में चलाए जाने वाले साप्ताहिक चलचित्र, खेल, सात्विक संगीत, परिचर्चा। पुस्तकालय में अध्ययन, अतिरिक्त अनलाइन कौरसेस इत्यादि द्वारा आप अपना सात्विक मनोरंजन कर सकते हैं। पर दिन में अपने कक्ष में जाकर सोना इत्यादि प्रतिबंधित है। अस्वस्थता की स्थिति में अनुमति लेकर अपवाद हो सकता है।
* हम यहीं अपेक्षा रखते हैं कि आप स्थिर होकर अपना अध्ययन पूरा करेंगे। परंतु कोई विशेष कार्य होने पर आप एक वर्ष में एक बार अनुमति लेकर अधिकतम 15 दिनों के लिए घर जा सकते हैं। इसमें यात्रा का समय भी निहित है।

**4. व्यवस्था**

* उपर्युक्त एवं केंद्र के अन्य नियमों में प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। आपको उन सभी नियमों का पालन करना होगा।
* किसी भी स्थिति में केंद्र के प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा और वह आपको मान्य होना होगा।
* संस्था की विस्तृत नियमावली आपसे साझा की जाएगी। आप उन नियमों को समझकर अपनी स्वीकृति देवे एवं उसका पूर्णतया पालन करें।
1. **सेवा कार्य की अपेक्षा**
* आपको दिया जाने वाला सेवा कार्य न्यूनतम 100 घंटे प्रतिमाह और 1200 घंटे वार्षिक होगा। ध्यान रहें, जैसे आप घर में रहते हुए गृहकार्यों में सहयोग देते हैं, वैसे ही केंद्र में रहते हुए आपका सहयोग अपेक्षित है।
* प्रयास यह रहेगा कि आपको दिया जाने वाला कार्य आपकी पात्रता, रुचि एवं आगामी अध्ययन के अनुकूल हो। परंतु यह अनिवार्य नहीं है। केंद्र की आवश्यकताओं के अनुसार आपको अन्य भी कोई कार्य दिया जा सकता है।
* अगर केंद्र के द्वारा दिए गए कार्य में आपकी योग्यता कम है और आपको किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उसका अवसर आपको दिया जाएगा। प्रशिक्षण का समय सेवा कार्य के समय से अतिरिक्त होगा।
* सेवा कार्य का समय आपकी कक्षाओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
* परीक्षा जैसे विशेष अवसरों पर, निवेदन करने पर आपको सेवा कार्य से छूट मिल सकती है। पर आपको उसकी भरपाई अवकाश आदि के समय करनी होगी। मूलतः 1200 घंटे के सेवा कार्य में कोई अपवाद नहीं होगा।
* अगर आप सेवा कार्य में अरुचि दिखाए अथवा उससे बचने का प्रयास किया तो आपको पहले समझाया जाएगा। परंतु अगर इसमें निरंतरता बनी रहती है तो आपको इस योजना से निलंबित किया जा सकता है।
* अतिविशेष परिस्थिति में अगर आप सेवा कार्य देने में असक्षम है तो
1. आपकी केंद्र में जमा सुरक्षा राशि से रुपये 6250/- प्रति माह के दर पर आपके आवास और भोजन का व्यय जमा कर लिया जाएगा।
2. आपको दी जाने वाली छात्रवृत्ती निलंबित कार दी जाएगी।

आप अगर संस्था की आवश्यकताओं के अनुकूल अतिरिक्त सेवा कार्य करते हैं, तो आपको अतिरिक्त छूट अथवा परितोष दिया जा सकता है। यह योजना के प्रबंधन समिति पर निर्भर करेगा।

1. **छात्रवृत्ति देने के नियम**
2. छात्रवृत्ति आपके द्वारा चयनित कॉर्सेस के लिए किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को दी जाएगी। उसके लिए आपको प्रवेश एवं फीस के आवश्यक प्रमाण आदि देने होंगे।
3. आप किसी अनलाइन कोर्स में भी दाखिला ले सकते हैं। उसकी फीस के लिए भी छात्रवृत्ति का उपयोग होगा।
4. छात्रवृत्ति के लिए आपकी उपस्थिति न्यूनतम 75% होनी अनिवार्य है। अगर अनलाइन कोर्स है तो आपके अन्य शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर एक निश्चित समय समय में आपको उस कोर्स को पूर्ण करना होगा।
5. छात्रवृत्ति की निरन्तरता के लिए आपका अपने कोर्स में नियमित परीक्षा देना और उसमें न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. आपको Attendance report और परीक्षाओं का परिणाम पत्र समय-समय पर केंद्र में जमा करना होगा।

उपर्युक्त नियमों का पालन न होने पर आपको पहले यथायोग्य अवसर दिया जाएगा। अगर फिर भी नियमों का पालन नहीं हुआ तो आपको इस योजना से निलंबित किया जा सकता है।

1. **सुरक्षा जमा राशि के नियम**

आपके द्वारा दी गई सुरक्षा राशि आपके एक वर्ष पूर्ण होने पर आपको लौटा दी जाएगी। निम्न अवस्थाओं में यह राशि पूर्ण या आंशिक, अर्थदंड के रूप में केंद्र द्वारा राखी जा सकती है।

1. आप अगर सेवा कार्य नहीं दे रहे तो प्रति माह रुपये 6250 के दर पर अर्थदंड लागू होगा।
2. अगर किसी भी कोर्स में दाखिल होने का बाद आप उस कोर्स को बीच में छोड़ते हैं तो कोर्स में दी गई फीस सुरक्षा राशि में से घटा दी जाएगी।
3. अगर आप संस्था के किसी भी संपत्ति की हानि पहुंचाते हैं तो उसकी क्षति पूर्ति में आपके द्वारा जमा सुरक्षा राशि का उपयोग होगा।

आपको इस योजना में प्रवेश से पूर्व इन नियमों पर अपनी लिखित स्वीकृति देनी होगी। आपकी इन नियमों के पालन करने में पूरी स्वीकृति हो, तभी अपना आवेदन भरें।

उपर्युक्त सभी नियमों से अगर आप सहमत हैं तो हमारी website [www.vvk.davchennai.org](http://www.vvk.davchennai.org) में जाकर अपना आवेदन भरें।